

5-4-23 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अडार्सी सं. 2 उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पंचवारों की रिपोर्ट प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली दी। अधिवक्ता अडार्सी एवं अडार्सी को बार-बार आवाज लगवाई गई। किन्तु अधिवक्ता अडार्सी अथवा अडार्सी में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अधिवक्ता अडार्सी को बहम के अन्तर्गत किया जाकर पत्रावली वास्ते बहम दिनांक 12-4-23 को पेश दी।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

12-4-23 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अडार्सी सं. 2 उपस्थित। अधिवक्ता अडार्सी को बार-बार रुक-रुककर आवाज लगवाई गई। अडार्सी को भी बार-बार आवाज लगवाई गई। किन्तु अधिवक्ता अडार्सी अथवा अडार्सी में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्थापनांतरण को आगे चलाया जाने का औचित्य नहीं है।

अति. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पंचवारों में विचारधीन मु. सं. 12/2022 इनवानी बयरी बनाम शंकरलाल अर्बेना पर 25।8 राज. कार्यकारी अधिनियम 1955 का अन्तः सहाय न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु अडार्सी शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी ग्राम चारणवास तहसील रामगढ़ पंचवारों डाय. प्रस्तुत अर्बेना पर स्थानांतरण अडार्सी की अदम्य दायरी एवं अदम्य पैरनी में स्वरिज किया जाता है। निर्णय की प्रती उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पंचवारों को भिजवाई जावे। पत्रावली को सब शुमार की जाकर नम्बर से क्रम दे एवं बाह्य पूर्ण प्रविष्ट लेख गण्डार की जाके निर्णय आज दिनांक 12-4-2023 को मेरे डाय. मुले न्यायालय में प्रेषित किया गया।

निर्णय प्र. 8

427

12-4-23



(सुरेश कुमार)

अति. जिला कलक्टर
दौसा (राज.)